फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय – 446, भूपालपुरा मेन रोड, शास्त्री सर्किल के पास, उदयपुर तथा शाखा कार्यालय – प्रियंका प्लाजा, आवरी माता मन्दिर के सामने, राजनगर रोड, राजसमन्द – 313326 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री धर्मी चंद जैन — **प्रार्थी बैंक**

बनाम

1. श्री रामेश्वर लाल कुमावत पिता श्री बंशी लाल कुमावत **(ऋणी)**
   उपली पोल, खटामला की भागल, गांव खटामला, पोस्ट–केलवा, जिला राजसमंद
2. श्री शांति लाल कुमावत पिता श्री बंशी लाल कुमावत **(जमानती)**
   उपली पोल, खटामला की भागल, गांव खटामला, पोस्ट–केलवा, जिला राजसमंद

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 33/2020**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24/11/2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कार्यालयः– गांधी सेवा सदन के सामने, किशोर नगर, राजनगर, राजसमन्द ने दिनांकः 16–10–2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार खाता संख्या 269031100000098 के द्वारा 5,50,000 रुपए का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पति श्री रामेश्वर लाल कुमावत पिता श्री बंशीलाल कुमावत के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पति का पट्टा संख्या 2357 जिसका क्षेत्रफल 390 वर्गफीट है जो कि खटामला की भागल, गांव–खटामला, पोस्ट– केलवा, जिला–राजसमंद (राज.) में स्थित है, को प्रार्थी बैंके पास रहन किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 26.12.2019 ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 269031100000098 में बकाया रुपए 4,99,094.77 (रुपए चार लाख निन्याणवे हजार चौरान्नवे पैसे सत्हत्तर मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 16.01.2020 तक शेष व देय निकलते है कि मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 16.01.2020 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो कि अप्रार्थीगण को तामिल हो गये। परन्तु धारा धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को नहीं किया गया है उक्त धारा 13 (2) का नोटिस प्रोपर तामिल होने की दिनांक 29.01.2020 है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो सम्पति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है :– श्री रामेश्वर लाल कुमावत पिता श्री बंशीलाल कुमावत के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पति का पट्टा संख्या–2357, जिसका क्षेत्रफल 390 वर्गफीट है जो कि खटामला की भागल, गांव–खटामला, पोस्ट–केलवा, जिला– राजसमंद (राज.) में स्थित है। पूर्व में :– आम रास्ता, उत्तर में :– सामलाती जमीन, दक्षिण में :– श्री फतेह लाल का मकान , पश्चिम में :– श्री अम्बालाल का प्लॉट। उक्त सम्पति का पट्टा विलेख दिनांकित 20.05.2016 को ग्राम पंचायत खटामला, पंचायत समिति राजसमंद द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त चरण संख्या 05 में वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 16.01.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को प्रोपर तामिल होने की दिनांक 29.01.2020 हैं। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी यूनियन बैंक द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है – श्री रामेश्वर लाल कुमावत पिता श्री बंशीलाल कुमावत के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पति का पट्टा संख्या–2357, जिसका क्षेत्रफल 390 वर्गफीट है जो कि खटामला की भागल, गांव–खटामला, पोस्ट–केलवा, जिला– राजसमंद (राज.) में स्थित है। पूर्व में :– आम रास्ता, उत्तर में :– सामलाती जमीन, दक्षिण में :– श्री फतेह लाल का मकान , पश्चिम में :– श्री अम्बालाल का प्लॉट, उक्त सम्पति का पट्टा विलेख दिनांकित 20.05.2016 को ग्राम पंचायत खटामला, पंचायत समिति राजसमंद द्वारा जारी किया गया है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

राजसमन्द को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)